



कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

राँची समाहरणालय भवन, ब्लॉक 'ए', प्रथम तल्ला, कमरा नं.: 109,113,114
दूरभाष- 0651-2213709 (DSE Office) / 0651-2213718 (MDM CELL)
E-mail: ranchi1.mdm@gmail.com / dseranchi@gmail.com



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

पत्रांक: 1068 /

प्रेषक:

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,
अवर विद्यालय निरीक्षक, राँची-1 एवं 2

राँची, दिनांक: 07-04-25

विषय: पी०एम०पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना अंतर्गत सप्ताहिक मेनू के संबंध में।

प्रसंग: सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राँची के पत्रांक 20 दिनांक 11.01.2023 महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राँची के पत्रांक 20 दिनांक 11.01.2023 के निदेशानुसार पी०एम०पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना का निम्नांकित साप्ताहिक मेनू अनुसार एवं निर्धारित समयावधि में ही मध्याह्न भोजन कराना सुनिश्चित करेंगे:-

क्रम	दिवस	मध्याह्न भोजन समयावधि		पी०एम०पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना का सप्ताहिक मेनू
		1 अप्रैल से 30 जून	1 जुलाई से 31 मार्च	
1	सोमवार	09:30 पूर्वा० से 10:00 बजे पूर्वा०	1:00 अप० से 1:30 बजे अप०	चावल, दाल, हरी सब्जी एवं अंडा कढ़ी/शाकाहारी हेतु मौसमी फल।
2	मंगलवार	09:30 पूर्वा० से 10:00 बजे पूर्वा०	1:00 अप० से 1:30 बजे अप०	चावल, छोला या चना की सब्जी एवं सलाद।
3	बुधवार	09:30 पूर्वा० से 10:00 बजे पूर्वा०	1:00 अप० से 1:30 बजे अप०	हरी सब्जी एवं सोयाबीन बड़ी युक्त भेज पुलाव तथा दाल।
4	वृहस्पतिवार	09:30 पूर्वा० से 10:00 बजे पूर्वा०	1:00 अप० से 1:30 बजे अप०	चावल, दाल, चोखा एवं हरी सब्जी युक्त भुजिया।
5	शुक्रवार	09:30 पूर्वा० से 10:00 बजे पूर्वा०	1:00 अप० से 1:30 बजे अप०	चावल, दाल, हरी सब्जी एवं एक उबला अंडा/शाकाहारी हेतु मौसमी फल।
6	शनिवार	09:30 पूर्वा० से 10:00 बजे पूर्वा०	1:00 अप० से 1:30 बजे अप०	खिचड़ी (हरी सब्जी, पालक युक्त) तथा चोखा, आचार एवं पापड़

नोट: सोमवार एवं शुक्रवार को अवकाश रहने की स्थिति में अगले विद्यालय दिवस को अण्डा/फल दिया जाएगा।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक,

07/04/25

ज्ञापक: / राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड पी०एम०पोषण योजना कोषांग/प्रखण्ड साधन सेवी/संकुल साधन सेवी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी कोटि के विद्यालयों (सरकारी/अल्पसंख्यक) के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्र०अ० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा अधीक्षक,

07/04/25